इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 अप्रैल 2011—वैशाख 8, शक 1933

विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2011

क्र. 22-वि. निर्वा.-2011-चार-86.—राज्यसभा उप चुनाव 2011 के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त रिटर्निंग आफिसर की अधिसूचना क्रमांक 100/रा. स./म. प्र./1/2011 (2), दिनांक 25 अप्रैल 2011 को उक्त राज्य के असाधारण राजपत्र क्रमांक 223, दिनांक 25 अप्रैल 2011 के पृष्ठ क्र. 446 (1) एवं 446 (2) में प्रकाशित किया गया है.

राज्य सभा के लिये नियुक्त रिटर्निंग आफिसर की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना, अधिसूचना क्र. 100/रा.स.-म. प्र./1/2011 (2), दिनांक 28 अप्रैल 2011 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं.

प्रेम चन्द मीना, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल, 2011—वैशाख 8, 1933 (शक)

अधिसूचना

सं 100-रा.स.-म. प्र.-1-2011 (2).—यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने 25 अप्रैल, 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में उस राज्य में होने वाले राज्य सभा उप-निर्वाचन के सम्बन्ध में, दिनांक 25 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. 100-रा. स.-मध्यप्रदेश-1-2011(2) के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रधान सचिव को रिटर्निंग ऑफिसर पदाभिहित किया है; और

यत:, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश ने दिनांक 25 अप्रैल, 2011 के अपने पत्र संख्या 12-2011-4-2128 के द्वारा आयोग को सूचित किया है कि प्रधान सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा विदेश दौरे पर गए हैं तथा उन्होंने सचिव (विधान) मध्यप्रदेश विधान सभा को उपरोक्त उप-निर्वाचन के लिए उनके स्थान पर रिटर्निंग अधिकारी के रूप में प्रस्तावित किया है;

अब, इसलिए, आयोग दिनांक 25 अप्रैल, 2011 की अपनी अधिसूचना सं. 100-रा.स.-म. प्र.-1-2011(2) में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् सारणी के स्तंभ (1) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर "सचिव (विधान) मध्यप्रदेश विधान सभा" को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

आदेश से,
हस्ता./-
(के. अजय कुमार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 28th April, 2011 Vaisakha 8, 1933 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-CS-MP-1-2011 (2).—WHEREAS, in pursuance of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Madhya Pradesh, designated the Principal Secretary, Madhya Pradesh Legislative Assembly to be the Returning Officer, *vide* its Notification No. 100-CS-MP-1-2011 (2), dated 25th April 2011, in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 25th April, 2011; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh, *vide* its letter No. 12-2011-4-2128 dated 25th April, 2011, has intimated the Commission that the Principal Secretary, Madhya Pradesh Legislative Assembly has gone for a foreign tour, and has proposed Secretary (Legislation), Madhya Pradesh Legislative Assembly as the Returning Officer in his place for the said bye-election;

NOW, THEREFORE, the Commission makes the following amendment in its notification No. 100-CS-MP-1-2011(2), dated 25th April, 2011 namely, for the existing entry in column (1) of the Table, the entry "Secretary (Legislation), Madhya Pradesh Legislative Assembly" shall be substituted.

By order,
Sd./-
(K. AJAY KUMAR)
Secretary to the
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011